

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/  
प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 06 मार्च, 2023

**विषय :-** वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन भाग-4 द्वारा राजकीय विभागों के संविदा कार्मिकों के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन भाग-4 द्वारा राजकीय विभागों के संविदा कार्मिकों के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

- (1) राजकीय विभागों में संविदा पर नियुक्त कार्मिकों की संविदा धनराशि, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित पद के लिये निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल की न्यूनतम राशि (संबन्धित पे मैट्रिक्स लेवल की पहली कोष्ठिका की धनराशि) एवं उस पर राज्य कर्मचारियों के लिये समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते की धनराशि को जोड़ते हुए उन्हीं कार्मिकों को अनुमन्य करायी जाय जो पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों तथा जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
- (2) उपरोक्तानुसार संविदा धनराशि दिये जाने हेतु यह सुनिश्चित किया जाय कि संविदा कार्मिकों द्वारा पूर्णकालिक कार्मिकों के लिये

निर्धारित अवधि का कार्य प्रतिदिन किया जाता है। अंशकालिक कर्मी अथवा ऐसे संविदा कर्मी जिनके कार्य के लिये निर्धारित घंटे पूर्णकालिक कार्मिकों से कम हैं, उन पर उपर्युक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

- (3) आंगनबाड़ी, आशा बहू, रसोईया, पी0आर0डी0 स्वयं सेवक, होमगार्ड्स, पंचायत अंकेक्षण समन्वयक, मनरेगा, शिक्षामित्र, किसान मित्र, सीजनल संग्रह अमीन/सीजनल अनुसेवक, अंशकालिक कार्मिक, उद्यान विभाग/कृषि विभाग/कृषि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सीजनल कार्य हेतु लगाये गये कार्मिक तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में मानदेय या अन्य आधार पर रखे गये कर्मचारियों आदि के लिये संविदा की धनराशि के पुनरीक्षण के लिये उपर्युक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।
- (4) यह भी निर्णय लिया गया है कि वेतनमान में सृजित पद के विरुद्ध संविदा पर कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

**भवदीय,  
प्रशान्त त्रिवेदी,  
अपर मुख्य सचिव।**

**संख्या-5/2023/वे0आ0-2-165/दस-2023तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1  
(2) कार्मिक नियमावली सेल।

**आज्ञा से,  
सरयू प्रसाद मिश्र,  
विशेष सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।